न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.

अपील संख्या 52/2018

अपीलान्टः–

1– भींयाराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी सुनारी तहसील लाडनूं, जिला नागौर राज.।

बनाम

रेस्पोडेन्टः–

1– राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का, सुनारी।

उपस्थित अधिवक्ता–

1– श्री अजीत सिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलान्ट ।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 बअनुवान भींयाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये पटवार हल्का सुनारी प्रकरण संख्या 44/2018 न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं का निर्णय दिनांक 10/08/2018.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांकः–06.04.2021

{1}– यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण संख्या 44/2018 बअनुवान राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का, सुनारी बनाम भींयाराम पुत्र भगवानाराम, जाति जाट निवासी सुनारी में पारित निर्णय दिनांक 10/08/2018 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} – अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम सुनारी के खसरा न0 260 रकबा 00–09 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता पर रास्ता बंद कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अपीलान्ट/अप्रार्थी ने न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील डिक्री टी.ए. संख्या 5252/2007 बअनुवान भींयाराम बनाम राजस्थान सरकार की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की चूंकि प्रतिलिपी में वादग्रस्त खसरा नम्बर का कहीं पर भी उल्लेख नहीं होने से एवं किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पेश की गयी प्रतिलिपि का कोई महत्व नहीं माना।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा सुनारी के खसरा नं. 260 रकबा 00–09 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा सुनारी के खसरा नम्बर 260 रकबा 00–09 बीघा किस्म गै. मु. रास्ता भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये का पच्चास गुणा से राशि रूपये 11/–अक्षरे ग्यारह रूपये जुर्माना आरोपित किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.09.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 11.09.2018 को दर्ज रजिस्टर

की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक एन.टी./रीडर/2018/157 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

{3}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)– यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आलौच्य निर्णय बिना कोई विधिक कार्यवाही ही पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है।

{3}(2)– यह है कि अपीलार्थी का खेत वाके शरहद सुनारी खसरा नम्बर 248 व 227 है। जो अपीलार्थी की खातेदारी का है। उक्त खेत में अपीलार्थी ने आज से करीब 25 वर्ष पहले ट्यूबेल एवं रहवासी मकान भी बना लिये, जहाँ अपीलार्थी परिवार सहित रहवास भी करता है।

{3}(3)- यह है कि अपीलार्थी की पूर्वी सींव से होता हुआ खंसरा नम्बर 228 की पूर्वी सीमा पर होकर कटाणी रास्ता आंडित से मारोडिया आने–जाने वाला आज से करीब 40 वर्षो से अनवरत चालू है, उक्त रास्ते के दोनो तरफ सीमा के उपर हरे वृक्ष खड़े हुए है। जिस रास्ते को आज भी आने–जाने हेतु काम में लेते आ रहे है, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही कर आलौच्य आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त होने योग्य है।

{3}(4)– यह है कि सुनारी से हीरावती की मैन सड़क से उत्तर में खसरा नम्बर 226 की पूर्वी सीमा पर यह कटाणी रास्ता चलता हुआ, खसरा नम्बर 227 व 228 की पूर्वी सीमा पर करीब 20–25 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर अवस्थित है। उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा श्रमिकों से राज्य सरकार ने राशी व्यय कर कच्ची सड़क का निर्माण करवाया हुआ है।

फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के बिना कोई विधिक कार्यवाही किये ही अपीलार्थी को दोषी मानकर आलौच्य आदेश पारित किया है, जो काबिले निरस्त है

{3}(5)– यह है कि खसरा नम्बर 226, 228 के खेत के खातेदारान को बिना पक्षकार बनाये ही केवल मात्र अपीलार्थी से दैषता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा झुठी शिकायत पर मौके की स्थिति देखे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो काबिले निरस्त है।

{3}(6)– यह है कि अपीलार्थी भारतीय सेना से सेवानिवृत होकर वर्तमान समय में अपनी खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 248, 227 मे कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है। वर्तमान समय में मूंग व तिल की फसल की हुई है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके देखे ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त होने योग्य है।

{3}(7)- यह है कि उपरोक्त रास्ता बाबत अपीलार्थी ने राजस्व मण्डल, अजमेर में भी चाराजोही कर रखी है, जिसके प्रकरण संख्या 5252/07 लम्बित है, इसलिए भी उक्त आलौच्य आदेश काबिले निरस्त है।

{3}(8)- उक्त निर्णय की नकल अपीलार्थी को दिनांक 04.09.2018 को प्राप्त हुई, जिससे यह अपील अन्दर मियाद होकर न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।

{3}(9)– अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि नायाब तहसीलदार लाडनूं द्वारा प्रकरण संख्या 44/2018 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का, सुनारी बनाम भींयाराम पुत्र भगवानाराम में पारित निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

{4}– प्रार्थीगण श्री मोतीसिंह पुत्र श्री नानूसिंह गौड़ जाति रावणा राजपूत उम्र 30 साल निवासी सुनारी तहसील लाडनूं जिला नागौर द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता सारहीन होने से आदेशिका दिनांक 05.03.2021 को खारिज की गयी।

{5}- अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.08.2018 को पारित हुआ। अपीलार्थी को निर्णय की नकल दिनांक 04.09.2018 को प्राप्त हुई एवं अपील दिनांक 11.09.2018 को प्रस्तुत होने से अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6}– बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन व मनन किया गया। पटवारी हल्का सुनारी की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम सुनारी के खसरा नं0 260 रकबा 00–09 बीघा गै. मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील डिक्री टी.ए. संख्या 5252/2007 बअनुवान भींयाराम बनाम राजस्थान सरकार की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। लेकिन प्रतिलिपि में वादग्रस्त खसरा नम्बर 260 रकबा 00–09 बीघा ग्राम सुनारी तहसील लाडनूं का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। न ही इससें यह स्पष्ट होता है कि उक्त अपील इस वादग्रस्त भूमि में किस बाबत दायर की गयी है।
प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0 मु0 रास्ता भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजकीय भूमि होकर किस्म गै. मु. रास्ता भूमि है तथा वर्तमान में भी राजकीय खाते में दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अतिक्रमण करने से अपीलान्ट को कोई स्वत्व व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। गै.मु. रास्ता की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(vi) के अनुसार किसी भी प्रकार से खातेदारी

अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं तथा इस प्रकार की भूमियों का आवंटन भी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के तहत वर्जित है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार हैं। कब्जा विधि सम्मत होना चाहिए और उसे ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का स्वत्व व अधिकार होना माना जा सके। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विविधवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोइ हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

:::: आदेश ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.08..2018 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी होकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)